राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3087/2025

डॉ. मेराज डायर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.06.2025
आदेश की दिनांक : 23.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–II के पद पर राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, आयड, उदयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं आदेश दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–1 व 2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय भीम, जिला राजसमद किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत निः शक्तता से अग्रित है (अनुलग्नक–4)। इसके संबंध में अपीलर्थी ने माननीय अधिकरण, चलपीठ जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 291/2025 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 29.01.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ अपील का निस्तारण किया गया एवं साथ ही इनके द्वारा अभ्यावेदन के साथ प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के परिपत्र दिनांक 18.07.2022 संलग्न किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि विशेष योग्यजनों की नियुक्ति/पदस्थापन के समय उन्हें उनके इच्छित अथवा नजदीक स्थान पर नियुक्त/पदस्थापन

किये जाने पर विचार किया जाए। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 06.02.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.06.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उदयपुर में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य पद रिक्त होने के पहलू पर विचार किये बिना ही भीम के स्थान पर अपीलार्थी को आयुर्वेद चिकित्सालय, गुड़ली, गिर्वा, उदयपुर में पदस्थापित कर दिया गया, जो 50 कि. मी. दूर है किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी का पति भी हृयद रोग से ग्रसित है। जिनका ईलाज उदयपुर शहर में ही चल रहा है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.06.2025 (अनुलग्नक–7) को आयोजित शिविर में माननीय मुख्यमंत्री को पुनः आवेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करने अथवा आयुर्वेद स्वास्थ्य एवं अनुसंधान केन्द्र, गुलाब बाग, उदयपुर में रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने का निवेदन किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025, 16.01.2025 (अनुलग्नक–1 व 2) एवं आदेश दिनांक 06.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर आयुर्वेद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी–ाा के पद पर राजयकी आयुर्वेद चिकित्सालय, आयड, जिला उदयपुर में समस्त पारिणामिक लाभों सहित कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत

करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
सदस्य